>

Title: Need to expedite presidential assent to the proposal of Legislative Assembly of Gujarat to include Gujarati as one of the official languages of Gujarat High Court.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : गुजरात राज्य मंत्री मंडल ने दिनांक 23.3.2011 की बैठक में गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती भाषा के प्रचलन को मंजूरी दे दी एवं दिनांक 9.5.2011 को महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराया था। महामहिम राज्यपाल जी के दफ्तर ने दिनांक 13.5.2011 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय को महामहिम राष्ट्रपति जी की पूर्व मंजूरी प्रदान करने हेतु विनती की थी। ऐसे मामले में जनहित याचिका द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को हिन्दी भाषा का उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि सुगम एवं सरल न्याय प्रक्रिया हेतु गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात भाषा का प्रचलन हो, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति शीघ्र ही प्रदान करवाने में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करें।